

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./बी/46/10/384

भोपाल, दिनांक 29/5/10

// संशोधित आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/शि.क./बी/संवि/46/2010/361-62 दिनांक 26.5.2010 द्वारा श्रीमती रानी दुबे अध्यापक शास.नवीन माध्यमिक शाला सौताड़ा जिला हरदा का जिला पंचायत हरदा एवं नगर पालिका परिषद होशंगाबाद द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होशंगाबाद के लिये संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी ।


संचालनालय द्वारा जारी उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्रीमती रानी दुबे ~~नया अ.अ.सी. क्र. 4280 के स्थान पर 5207~~ के स्थान रीना दुबे पढ़ा जावे आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी ।


उप संचालक 29/5/10

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 29/5/10

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./बी/46/10/385
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला हरदा/होशंगाबाद मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी हरदा/होशंगाबाद मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित - श्रीमती रीना दुबे अध्यापक शास.नवीन माध्यमिक शाला सौताड़ा जिला हरदा की ओर सूचनार्थ ।


उप संचालक 29/5/10
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश